न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–26.02.2026

मिशल संख्याः–136/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

मीरा देवी पत्नि महावीर उम्र 37 वर्ष जाति मीणा निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीया–

बनाम

1. कानाराम पुत्र कालूराम जाति मीणा निवासी झर तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0
2. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज.

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री बाबूलाल मीणा
श्री नरेन्द्र मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीया

श्री आलोक शर्मा
अधिववक्ता अप्रार्थी संख्या 1
तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खाता न0 326 खसरा नं0 225 रकबा 0.29 है0 वाके तन ग्राम संथली प0ह0 संथली तहसील देवली, जिला टोंक में स्थित है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थीया का सम्पूर्ण हिस्सा है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि में काश्त करने के लिए खाता न0 196 गै0मु0 रास्ता मे से खसरा नं0 216 रकबा 0.09 है0 व खसरा नं0 217 रकबा 0.41 है0 मे से दक्षिण दिशा मे होते हुए आती जाती है और उक्त रास्ते का ही वर्षो से उपयोग कर अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं0 225 में हकाई, जुताई, बुआई करती आ रही है। खसरा नं0 216 व 217 में मौके पर कदीमी रास्ता बना हुआ है। प्रार्थना पत्र के चरण नं0 1 में वर्णित आराजीयात में आने जाने एवं हकाई, बुआई, जुताई आदि कार्य के लिए प्रार्थीया उक्त वर्णित रास्ते का उपयोग वर्षो से करती आ रही है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे उक्त रास्ता दर्ज रिकार्ड नही होने के कारण प्रार्थीया की भूमि में जाने वाले कदीमी रास्ते मे अप्रार्थी नं0 1 के द्वारा तारो की बाड़ लगाकर अवरूद्ध कर दिया और प्रार्थीया को मौके पर आने जाने में मजामत करता है। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 225 में आने जाने का हकाई, जुताई, बुआई करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की खसरा नं0 225 मे खसरा नं0 216 व 217 में से उपयोग करती है। प्रार्थीया के खसरा नं0 216, 217 मे 15 फिट चौड़ा रास्ता की आवश्यकता है। प्रार्थीया को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया अपनी सुविधा के लिए रास्ता नही मांग रही है बल्कि प्रार्थीया को आवश्यकता है प्रार्थीया अप्रार्थीगण सं0 1 को रास्ते के उपयोग मे आने वाली भूमि

Ruby

की डीएलसी रेट की दुगुनी राशि अदा करने को तत्पर है। अप्रार्थीगण सं0 2 को लेण्ड हॉल्डर होने के कारण फॉर्मल पक्षकार बनाया है एवं खसरा नं0 216 भी अप्रार्थीगण सं0 2 की भूमि है। उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी भूमि खाता सं0 326 खसरा नं0 225 रकबा 0.29 है0 भूमि वाके तन ग्राम संथली प0ह0 संथली तहसील देवली जिला टोंक का श्रवणधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को खसरा नं0 216, 217 ग्राम संथली प0ह0 संथली तहसील देवली, जिला टोंक राज0 में से 15 फिट रास्ता दक्षिण दिशा मे पश्चिम से पूर्व की ओर प्रार्थीया की भूमि खसरा नं0 225 में आने जाने के लिए दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार देवली द्वारा पत्रांक :878 दिनांक 02.05.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी ने आपत्ति दर्ज कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर पुनः मंगवाये जाने हेतु मौका रिपोर्ट बाबत् तहसीलदार देवली को लिखा गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया :— प्रार्थना पत्र का चरण नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीया कभी भी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं0 225 में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा न0 217 मे से होकर आयी गई नही हे और ना ही कभी प्रार्थीया अपने कृषि संबंधि यंत्र अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि मे से लेकर गयी है। प्रार्थीया के पास पूर्व मे ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीया की खातेदारी की जमीन के अड़वा ही परिवार के सदस्यो की खातेदारी की भूमि खसरा नं0 224 व 218 स्थित है। प्रार्थीया हमेशा से ही आम रास्ता खसरा नं0 2507/214 से सिवायचक भूमि 2617/215 एवं पारिवारिक सदस्यो की भूमि खसरा नं0 224 व 218 की मेर पर से होकर ही अपने खेतो मे आती जाती है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीया कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि मे से होकर अपने खेत मे गयी ही नही है तो ऐसी स्थिति मे रास्ता अवरूद्ध करने वाली बाबत सरासर गलत है। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि मे कोई रास्ता बना हुआ नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीया आम रास्ता खसरा नं0 2507/214 से सिवायचक भूमि 2617/215 एवं पारिवारिक सदस्यो की भूमि खसरा नं0 218 की मेर पर से होकर आती जाती रही है। प्रार्थीया अपनी भूमि पर आम रास्ता खसरा नं0 258 से भी पारिवारिक सदस्यो की भूमि खसरा नं0 224 मे से होकर भी आती जाती है। इस कारण प्रार्थीया के पास पहले से ही अपने खेत मे जाने के लिये दो वेकल्पिक रास्ते मौजूद है जो सुगम, सरल व सीधे है। मौके पर किसी प्रकार का कदीमी रास्ता बना हुआ नही है क्योंकि प्रार्थीया कभी भी अपनी आराजीयात पर उक्त मांगे गये रास्ते से आयी गई नही है। प्रार्थीया खसरा नं0 216

जो राजस्व रिकार्ड मे राजकीय भूमि है, को हड़पने के लिये यहां से रास्ते की मांग की है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 को हेरान परेशान करने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है बल्कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 5 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 5 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार देवली द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट कार्यालय कमांक :1011 दिनांक 14.11.2025 को पेश की गई जो बिन्दुवार निम्नानुसार है :— प्रार्थी की अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिकार्डेड रास्ते ख0 नं0 196 रकबा 0.38 है0 किस्म गै0मु0 सडक से जुडा है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 4.57 मीटर एवं लम्बाई ख0नं0 217 मे 89.21 मीटर व खसरा नं0 216 में से 19.48 मीटर होगी अर्थात ख0नं0 217 में कुल 408 वर्गमीटर भूमि व खसरा नं0 216 में से 89 वर्गमीटर भूमि कुल लंबाई 108.69 गुणा 4.57 यानि 497 वर्गमीटर जो पूर्व में प्रस्तावित किया गया यथावत रहेगी। प्रार्थी की आराजी ख0नं0 225 के चारो तरफ जहां पर गै0मु0 रास्ता है वहां तक की स्थिति नक्शा ट्रेस मे दर्शायी गई है। प्रार्थी द्वारा चाहे जाने वाले रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 2461000 रू0 प्रति है0 है जिसके हिसाब से एक गुना राशि 122312 रू0 एवं दुगुनी प्रतिकर राशि 244624 रूपये होगी। आवेदित भूमि सिंचित है तथा राजमहल जाने वाले सडक के खसरा नं0 225 की दूरी 108 मीटर तथा एनएच 52 से 400 मीटर दूर है। आवेदक की आराजी खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा ख0नं0 216, 217 में से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड दिवार इत्यादि नही है। अप्रार्थी रास्ता देने हेतु सहमत नही है इसलिए अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। प्रस्तावित रास्ता अब्दुर रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

नोट :— अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि पूर्व में प्रस्तावित रास्ते के अलावा दो अन्य वैकल्पिक रास्ते मौके पर मौजूद है किन्तु मौका रिकॉर्ड अनुसार एक अन्य वैकल्पिक रास्ता ख0नं0 258 रकबा 0.63 है0 गै0मु0 रास्ता सिवायचक मौके व राजस्व रिकॉर्ड मे मौजूद है। खसरा नं0 225 व 258 के मध्य ख0नं0 224 व 223 मौजूद है जो अन्य की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 225 से 258 की सीधी दूरी व खसरा नं0 223 व 224 की मेडो के होते हुए **दूरी पूर्व प्रस्तावित रास्ते से अधिक दूरी पर है।**

अतः नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस व डीएलसी की प्रमाणित प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रस्तुत है।

Rudy

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 225 रकबा 0.29 है0 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा न0 216 राजकीय भूमि सिवायचक है एवं खसरा न0 217 अप्रार्थीगण स0 1 की खातेदारी भूमि है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता ही लघुतम दूरी का रास्ता है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। **अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।**

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय कमांकः 1011 दिनांक 14.11.2025 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार आराजीयात खाता नम्बर 326 खसरा नम्बर 225 रकबा 0.29 है0 वाके तनग्राम संथली पटवार हल्का संथली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में **कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग निम्न प्रकार रहेगा –**

क्र.स.	खसरा नम्बर	लंबाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	216	19.48	4.57	89
2	217	89.21	4.57	408
कुल	2	108.69	4.57	497

प्रस्तावित रास्तें के कुल क्षेत्रफल 497 वर्गमीटर के लिए डी. एल. सी दर 2461000/– रूपये प्रति0 है0 है जिसके अनुसार कुल 497 वर्गमीटर के लिये एक गुणा राशि 122312 रूपये व दुगुनी 244624 रूपये प्रतिकर राशि जमा राजकोष कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, तत्पश्चात् अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार राशि संदाय कर उक्त प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ते के रूप में

अमल दरामद कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 26.02.2026 सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)